UPSN010002862026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. (अत्याचार निवारण)अधिनियम, भदोही–ज्ञानपुर।

उपस्थित :– (डॉ० अमित वर्मा) आई. डी.–यू.पी. 2412

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–98/2026

विनोद उर्फ़ सनोज पुत्र काशीनाथ यादव निवासी किशुनपुर टेकारी थाना भदोही, जिला भदोही। ....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

फौजदारी परिवाद संख्या 156/23
प्रिया देवी बनाम विनोद उर्फ़ सनोज
धारा– 323, 504, 506, 452, 354 आई.पी.सी. व 3(1) द, ध एस०सी०/एस०टी० एक्ट
थाना–भदोही, जनपद–भदोही ।

दिनांक 01.04.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त विनोद उर्फ़ सनोज पुत्र काशीनाथ यादव निवासी किशुनपुर टेकारी थाना भदोही, जिला भदोही, द्वारा परिवाद संख्या- 156/2023, धारा-323,504,506, 452, 354 भा०द०सं० व धारा-3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना-भदोही, जिला-भदोही के अभियोग में जमानतीय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में परिवाद का कथन इस प्रकार है कि अभियुक्त विनोद उर्फ सनोज दबंग किस्म का व्यक्ति है, सरेआम दबंगई करता है। खासकर अनुसूचित जाति के गरीब लोगो का उत्पीड़ित करता रहता है। प्रार्थिनी/परिवादिनी के मकान के बगल उसके पड़ोसी का मकान है। दिनांक 23.09.2023 को 11.30 बजे रात उक्त अभियुक्त विनोद उर्फ सनोज उसके पड़ोसी के छत से उसके मकान के छत से उसके कमरे में घुस आया और उसके कमरे का दरवाजा बन्द करके उसके उपर चढ कर उसका स्तन दबाने लगा व गला भी दबाया। उसके साथ बालात्कार करने की कोशिश करने लगा और तकिया से उसका मुँह दबा दिया। वह चिल्लाना चाही तो चाकू निकालकर उसके बच्चे के गले में चाकू लगा दिया और कहा कि चिल्लाओगी तो तुमको और तुम्हारे बच्चो को जान से मार देगें उसके किसी तरह से मुँह से तकिया हटने पर चिल्लाई तो उसके परिवार के लोग जागे तो देखे दरवाजा अन्दर से बन्द था और रोशनदान से देखे तो कमरे के अन्दर उक्त विनोद उर्फ सनोज था उससे दरवाजा खोलने के लिये कहे तो दरवाजा नहीं खोला तब उसके घर वाले दरवारजा फावड़े से तोड़ दिए और मौके पर ही विनोद उर्फ सनोज को पकड़ लिया और 112 नं० की पुलिस को फोन करके सूचित किया और पुलिस आयी और विनोद उर्फ सनोज को पकड़कर थाने ले गयी। वह अपने परिवार वालो के साथ थाने रिपोर्ट करने गयी तो पुलिस थाना भदोही ने उल्टे उसको गाली देते हुए अपशब्दों का प्रयोग करते हुये थाने से

भगा दिया और दिखावटी तौर पर अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता फौजदारी में विनोद उर्फ सनोज का चालान कर दिया। उसने घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक व उपपुलिस अधीक्षक, सी०ओ० को कई बार प्रार्थना पत्र दिया पर थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी और कार्यवाही नही की गयी। उसके देवर प्रहलाद के बनावटी तौर पर अन्तर्गत धारा 151 में चालान कर दिया। वह अनुसुचित जाति की महिला है। अभियुक्त उपरोक्त ने उसके साथ सरेआम घर के अन्दर घुसकर छेड़खानी किया, गला दबाया उसके लड़के को चाकू से हमला करने की धमकी दिया और उसकी हत्या करने की धमकी दिया। उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश किया और जब दरवाजा उसके घर वाले तोड रहे थे तो घर के अन्दर विनोद उर्फ सनोज ने कहा कि चमाइन साली बाहर निकलूंगा तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा और कही भी बाहर मिलोगी तो जान से मारकर खत्म कर दूंगा।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उपरोक्त मुकदमें में परिवादिनी मुकदमा द्वारा फर्जी कहानी के आधार पर माननीय न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके बावत कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा अन्य किसी भी न्यायालय में विचाराधीन न ही है। वादिनी मुकदमा ने बवजह हैरान व परेशान करने की नियत से झूठे कथनों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया है जिसकी कोई सत्यता नही है। समस्त कथानक वादिनी मुकदमा बिल्कुल गलत एवं असत्य बेबुनियाद एवं निराधार है। यह कि मामले की असलियत यह है कि दिनांक 23.09. 2023 को रात्रि में करीब 9:00 पूर्व में विजय गौतम पुत्र रजवन्ता जो उसके गाँव के है उनको उसके द्वारा 22 हजार रूपया दिया था उसी को माँगने गया था कि विजय गौतम गाली देते हुये कहे कि पैसा नही देगे चले जाओ उसने कहा उसका पैसा दे दो वह चला जायेगा इसी बात को लेकर प्रहलाद व अमरजीत जो विजय के लड़के है गाली गुप्ता देते हुये उसे लाठी डण्डे से मारने लगे जिससे उसको काफी चोटे आयी जाते समय विपक्षीगण उसको जान से मारने की धमकी देते हुये चले गए वह थाने पर सुबह दिनांक 24.09.2023 को आया तो पुलिस की मौजूदगी में उसका इलाज सरकारी अस्पताल भदोही में कराया गयां। जिसके सम्बन्ध में नम्बर मुकदमा 489/2024 न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भदोही चल रहा है जो जेर कार्यवाही है। वादिनी मुकदमा ने रूपये के लेन देन सम्बन्धी विवाद को लेकर तथा नाजायज दबाव बनाने के उद्देश्य से झूठे कथनो के आधार पर मुकदमा दाखिल किया है जिसकी कोई सत्यता नही है। तथाकथित घटना दिनांक 23.09.2023 समय 11:30 बजे रात की कही जाती है जिसके सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को सूचना दिनांक 13.10.2023 को दिया है। यह कि तथाकथित घटना बिल्कुल कपोल कल्पित एवं सम्भावनाओ के आधार पर किया गया है। वह बिल्कुल निर्दोष है कत्तई कोई आपराध कारित नही किया है। उसने वादिनी मुकदमा को न गाली गुप्ता दिया था, न मारा पीटा था, न जान से मारने की धमकी दिया था और न ही किसी महिला की लज्ञा भंग किया और न ही जाति सूचक शब्दो का प्रयोग ही किया था और न ही बलात्कार करने का प्रयास ही किया था समस्त कथानक वादिनी मुकदमा बिल्कुल गलत असत्य है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह अपनी जमानत कराने के लिये

तैयार है। जमानत पर छुटने के बाद जमानत का दुरूपयोग नही करेगा और न ही सबूत पक्ष पर किसी भी प्रकार का कोई जोर दबाव ही डालेगा और न न्यायालय क्षेत्र के बाहर जायेगा। बल्कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बराबर हाजिर अदालत रहेगा। उसको उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना है कि उसको उचित जमानत मुचलके पर रिहा किया जाये ताकि न्याय हो।

4. परिवादिनी द्वारा काउंटर शपथपत्र इस आशय से दाखिल किया गया है कि कि उक्त मुकदमें में अभियुक्त द्वारा फर्जी कहानी के आधार पर माननीय न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया है। सत्यता यह है कि अभियुक्त विनोद उर्फ सनोज गलत मंशा से उसके बगल / पड़ोसी के मकान के छत पर चढ़ करके दिनांक 23.09.2023 को रात्रि 11:00 बजे उसके छत पर से कमरे में घुस आया और उसके कमरे का दरवाजा बन्द करके उसके उपर चढ़ करके स्तन दबाने लगा व गला दबाने लगा और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा और तकिया से उसका मुंह दबा दिया, वह चिल्लाना चाही तो उसके बच्चे के गले पर चाकू लगा दिया और कहा कि चिल्लाओगी तो तुमको व तुम्हारे बच्चे को जान से मार दूंगा। वह किसी तरह से मुंह से तकिया हटने पर चिल्लाई और उसके शोर पर उसके परिवार वाले जागे और देखे कि अन्दर से दरवाजा बन्द है और रोशनदान से देखे तो कमरे के अन्दर विनोद उर्फ सनोज था, उससे दरवाजा खोलने के लिए कहा गया तो दरवाजा नही खोला, तब उसके घर वाले दरवाजा फावड़े से तोड़ दिए और मौके पर ही विनोद उर्फ सनोज को पकड़ लिया और 112 नम्बर की पुलिस को फोन किया तो मौके पर 112 की पुलिस मौके पर आयी और विनोद उर्फ सनोज को थाना भदोही ले करके गयी। वह भी अपने परिवार वालो के साथ थाने रिपोर्ट करने गयी, थाना भदोही के कोतवाल ने उल्टे उसको गाली गुप्ता व अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मुल्जिम के प्रभाव में होने की वजह से डाट करके भगा दिया और दिखावटी तौर पर अन्तर्गत धारा 151 सीआर०पी०सी० में विनोद उर्फ सनोज का चालान कर दिया। उसने घटना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक व उपअधीक्षक सी०ओ० को कई बार प्रार्थना पत्र दिया किन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। वह अनुसूचित जाति की महिला है अभियुक्त उपरोक्त ने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी / अश्लील हरकत व बलात्कार करने की कोशिश किया और मना करने पर गला दबाया और उसके लड़के को चाकू से जान से मारने की धमकी दिया, तब उसके परिवार वाले घर का दरवाजा तोड़ रहे थे तो उसी समय विनोद उर्फ सनोज ने कहा कि चमाईन साली बाहर निकलूंगा तो तुम्हारी हत्या कर दूंगा और तुम्हें चमाईन से मुसहिन बना दूंगा और जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। उसने उक्त मुकदमें में स्वयं 202 का बयान दिया है और उसके ससुर ने 202 का बयान दिया है और रामसजीवन पुत्र बबई ने भी 202 का बयान दिया है और उक्त घटना की पुष्टि किया है और उसी बयान के आधार पर माननीय न्यायालय ने तलब किया है। यह कि अभियुक्त का अपराध गम्भीर प्रकृति का है और अभियुक्त को यदि जमानत पर छोड़ दिया जायेगा तो उसे तथा उसके लड़के को जान माल का खतरा है, उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनोद उर्फ सनोज अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना न्यायहित में

जरूरी एवं आवश्यक है ।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने आवेदन जमानत का विरोध किया और कहा कि अभियुक्त ने कथित अपराध कारित किया है जो गंभीर प्रकृति का है, जमानत के आधार पर्याप्त नहीं हैं। अतः जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाये।

6. मैंने आवेदक/ अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की तरफ से विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्कों को सुना एवं केस डायरी, व पत्रावली पर उपलब्ध अन्य अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामला परिवाद से सम्बंधित है। प्रार्थी/अभियुक्त आज दिनांक 27.01.2026 से अंतरिम जमानत पर है और उसके द्वारा अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नहीं किया गया है। थाने की आख्या के अनुसार उसका कोई आपराधिक इतिहास एवं पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण दोष पर विचार व्यक्त करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त हैं, तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त विनोद उर्फ़ सनोज पुत्र काशीनाथ यादव निवासी किशुनपुर टेकारी थाना भदोही, जिला भदोही, द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, सम्बंधित परिवाद संख्या- 156/2023, धारा-323,504,506, 452, 354 भा०द०सं० व धारा-3 (1) द, ध एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना-भदोही, जिला-भदोही में स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त को 50,000/– रूपये की दो जमानतें व इसी धनराशि के व्यक्तिगत बन्धपत्र निष्पादित किये जाने पर निम्न शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाये।

1. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जायेगा ,और प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान अपने निवास स्थान को परिवर्तित नहीं करेगा ।
2. प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्य/साक्षियों को किसी भी प्रकार से प्रभावित/टेम्पर करने का प्रयत्न भी नहीं करेगा ।
3. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा और विचारण में सहयोग करेगा तथा दौरान विवेचना प्रस्तुत मामले की सुनवाई की अग्रिम तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होगा ।

उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन पर जमानत का दुरुपयोग माना जाएगा।

दिनांक 01.04.2026

(डॉ० अमित वर्मा)
आई. डी.–यू.पी.2412
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.एक्ट
भदोही–ज्ञानपुर।

Digitally signed by Amit Verma
Date: 2026.04.15 11:03:45 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court